न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 28/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बलवीर कौर धर्मपत्नि स्व0 गुरमुख सिंह जाति ब्राहमण सिक्ख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. अमरजीत सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. परमजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति ब्राहमण सिख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. उप पंजीयक रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... असल रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री कृष्ण कुमार मीना, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–13.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 09.09.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 492 रकबा 0.54 है0 सालिम व आराजी खसरा नंबर 491 रकबा 1.60 है0 का 39/160 भाग वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में है जिस आराजी से असल रेस्पो0 संख्या 1 गैरवास्ता गैरकाबिज शख्स है। विवादित आराजी हम अपीलांट के तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। असल रेस्पो0 संख्या 1 महज अपीलांट को परेशान करने व भोलेपन, अनपढ होने का बेजा लाभ उठाने को आमादा है तथा लालचवश विवादित आराजी में स्वयं का हित बता रही है जबकि असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के यहां झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर एक राजस्व वाद मय स्टे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व आर्डर 39 नियम 1–2 व 151 जा.दी बअनुवानी परमजीत कौर बनाम बलवीर कौर वगैरहा हम अपीलांट के विरूद्ध दायर कर दिया। तहत अदालत के समक्ष हम अपीलांटान द्वारा सही तथ्यों के साथ जबाव दर. पेश कर दी। लेकिन तहत अदालत द्वारा असल रेस्पो0 संख्या 1 के कथनों पर विश्वास करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के विपरीत, खिलाफ मौका, कब्जा व विधि विरूद्ध असल रेस्पो0

संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर सरसरी तौर पर निर्णय दिनांक 09.09.2015 पारित कर हम अपीलांटान को स्टे ऑर्डर से पाबन्द किया गया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि असल रेस्पो0 संख्या 1 की शादी सन 1980 में हुई थी और उसके पिता का देहान्त सन 1982 में हो चुका था। विवादित आराजी का विरासत इंतकाल दिनांक 14.05.88 को हम अपीलांटान के हक में स्वीकार हो चुका है जिसकी जानकारी असल रेस्पो0 संख्या 1 को प्रारम्भ से रही है। असल रेस्पो0 संख्या एक उपरोक्त हालात की जानकारी होते हुये भी करीब 26 साल बाद बदयांति तहत अदालत के समक्ष दिनांक 19.01.2012 को मुकदमा दायर किया। जिसे इतने विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण भी नही बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि असल रेस्पो संख्या एक द्वारा यह कार्यवाही महज हम अपीलांटान को परेशान करने की नियत से की गई है। तहत अदालत ने उक्त तथ्यों पर तनिक भी गौर नही किया। असल रेस्पो0 संख्या एक अपने बुजुर्ग माता को बेजा तंग व परेशान करना चाहती है इसलिये झूठा वाद मय स्टे प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष पेश किया है। विवादित आराजी पुश्तैनी नही है। विवादित आराजी हम अपीलांटान की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें असल रेस्पो0 संख्या 1 का कोई हिस्सा नही है। असल रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी की बाबत गैरवास्ता व गैरकाबिज शख्स है। विवादित आराजी पर मौके पर आज भी हम अपीलांटान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि असल रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति किसी भी प्रकार से साबित नही है। लेकिन तहत अदालत ने उक्त तथ्यों पर तनिक भी गौर नही किया है। इसलिये अपील अपीलांटान स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2015 अपास्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं रविन्दर कौर, हरदीप कौर, मनिन्दर कौर के बुजुर्ग गुरमुख सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। गुरमुख सिंह फौत हो गया। इस प्रकार विवादित आराजी में उक्त बहिस्से बराबर काबिज काश्तकार खातेदार हो गये और इसी प्रकार विवादित आराजी में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ अदालत द्वारा किया गया निर्णय विधि अनुकूल है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।

जमाबंदी संवत 2066–69 के अनुसार विवादित आराजीयात में बलवीर कौर बेवा गुरमुख सिंह व अजित सिंह पुत्र गुरमुख सिंह अंकित है। परमजीत कौर भी गुरमुख सिंह की पुत्री है। विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पुत्र–पुत्रियों के जन्म से ही

अधिकार होते हैं।पारिवारिक संपत्ति में सामूहिक कब्जा है। ऐसी स्थिति में कब्जा नही होने की धारणा नही की जा सकती है। इस प्रकरण में तहत अदालत द्वारा जो निर्णय किया है वह साम्यपूर्ण है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 09.09.2015 यथावत जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
13.12.19
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर